अष्टादश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-20.02.2026 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	डॉ० सुनील कुमार, स०वि०स० श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, स०वि०स० श्री नीतीश मिश्रा, स०वि०स० श्री जितेंद्र कुमार, स०वि०स० श्री जिवेश कुमार, स०वि०स० श्री मंजीत कुमार सिंह, स०वि०स० श्री उमेश सिंह कुशवाहा, स०वि०स० श्री मनोष कुमार, स०वि०स० श्री बीरेन्द्र कुमार, स०वि०स० श्री तारकिशोर प्रसाद, स०वि०स० श्री माधव आनंद, स०वि०स० श्री महेश्वर हजारी, स०वि०स० श्री शुभानंद मुकेश, स०वि०स० श्री केदार प्रसाद गुप्ता, स०वि०स० श्री राजू कुमार सिंह, स०वि०स० श्री रजनीश कुमार, स०वि०स० श्री राम चन्द्र प्रसाद, स०वि०स० श्री सुनील कुमार पिन्टू, स०वि०स० श्री मुरारी प्रसाद गौतम, स०वि०स० श्री विजय कुमार मंडल, स०वि०स० श्री अनिल सिंह, स०वि०स० श्री अतिरेक कुमार, स०वि०स० श्रीमती बिनिता मेहता, स०वि०स० श्री कलाधर प्रसाद मंडल, स०वि०स० श्री राम नारायण मंडल, स०वि०स० श्री श्याम रजक, स०वि०स० श्री प्रमोद कुमार, स०वि०स० श्री जनक सिंह, स०वि०स० श्री विनोद नारायण झा, स०वि०स० श्री राम सिंह, स०वि०स० श्री दामोदर रावत, स०वि०स० श्री राजू तिवारी, स०वि०स० श्री कृष्ण कुमार ऋषि, स०वि०स० श्री केदार नाथ सिंह, स०वि०स० श्री अवधेश सिंह, स०वि०स० श्री कुमार शैलेन्द्र, स०वि०स० श्री भरत बिन्द, स०वि०स० श्री कृष्णनंदन पासवान, स०वि०स० श्री श्रीभगवान सिंह कुशवाहा, स०वि०स० श्री रत्नेश सादा, स०वि०स० श्री सतीश कुमार सिंह यादव, स०वि०स० श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता, स०वि०स० श्री नन्द किशोर राम, स०वि०स० श्रीमती संगीता देवी, स०वि०स० श्री संजय कुमार पाण्डेय, स०वि०स० श्री कृष्ण कुमार मंटू, स०वि०स० श्री पुरन लाल टुडू, स०वि०स० श्री अजय कुमार, स०वि०स० श्री आदित्य कुमार, स०वि०स० श्री रोहित पाण्डेय, स०वि०स०	''बिहार राज्य में जर्जर विद्यालयों का भवन निर्माण अतिरिक्त कमरा का निर्माण तथा छात्र-छात्राओं की ज्यादा उपस्थिति के कारण कमरा बनाने एवं जीर्णोद्धार या मरम्मति आदि के लिए अच्छी खासी शिक्षा विभाग से प्रत्येक जिला में राशि आवंटित की जाती है, परंतु प्रधानाध्यापक एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के मिली-भगत के कारण मनमाने ढंग से कार्य कराया जा रहा है । जहाँ जर्जर विद्यालय का नवनिर्माण की जरूरत है, वहाँ पर राशि खर्च नहीं की जाती है और जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ प्रभावित होने के कारण राशि खर्च कर दी जाती है । लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की भूमिका अहम है और जनता के प्रति जवाबदेह है । अत: शिक्षा विभाग से स्वीकृत राशि को विधायकगण के अनुशंसा पर विद्यालयों में कार्य कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं ।''	शिक्षा

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री विजय कुमार खेमका, स०वि०स०	''बिहार राज्य में अब तक गौवंश के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु कोई गौवंश संरक्षण केन्द्र स्थापित नहीं है । गौवंश सरंक्षण केन्द्र पर गाय एवं अन्य गौवंश का संरक्षण, पालन-पोषण, उपचार किया जाता है । उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा तथा अन्य राज्यों में गौ संरक्षण केन्द्र के लिए वहाँ सरकारी व्यवस्था की गई है । राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निराश्रित एवं घुमंतू गौवंश के कारण सड़क दुर्घटनाओ, फसल की क्षति एवं जनसुरक्षा की भी गंभीर समस्या बराबर बनी रहती है । अत: मैं पूर्णियाँ सहित राज्य भर में गौवंश के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु एक ही परिसर में परित्यक्त एवं बीमार गौवंश की देखभाल, देशी नस्ल के संरक्षण, चिकित्सा एवं टीकाकरण, दुग्ध उत्पादन, गोबर व गौमूत्र आधारित जैविक उत्पादन के लिए गौवंश संरक्षण केन्द्र की स्थापना की ओर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ ।''	डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन

ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-13/2026- 99 /वि०स०, पटना, दिनांक- 19 फरवरी, 2026 ई०।

प्रतिः- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

19.2.26
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-13/2026- 99 /वि०स०, पटना, दिनांक- 19 फरवरी, 2026 ई०।

प्रतिः- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रिगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

19.2.26
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-13/2026- 99 /वि०स०, पटना, दिनांक- 19 फरवरी, 2026 ई०।

प्रतिः- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / **शिक्षा विभाग एंव डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.2.26
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-13/2026- 99 /वि०स०, पटना, दिनांक- 19 फरवरी, 2026 ई०।

प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

19.2.26
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

19/02/2026.